न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 170/18

1.राजकुमार राठौर पुत्र कामता प्रसाद राठौर 2.बृजेश राठौर पुत्र कामता प्रसाद राठौर <u>उक्त</u> दोनों निवासी वार्ड कमांक 13 गोहदी गैट गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

----आवेदकगण

विरूद्ध

पुलिस थाना गोहद

---अनावेदक

15-05-2018

आवेदक / अभियुक्तगण राजकुमार व बृजेश की ओर से पी०एन० भटेले अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद से अपराध क्रमांक 109 / 18 अंतर्गत धारा 323, 324, 294, 506, 34 व इजाफा 302 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त।

श्री पीoएनo भटेले अधिवक्ता द्वारा सूची अनुसार दस्तावेज पेश किये, जिसे संलग्न किया गया।

आवेदकगण राजकुमार व बृजेश की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एन. भटेले द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि प्रथम नियमित जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र0सं० पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक / अभियुक्तगण राजकुमार व बृजेश की ओर से निवेदन किया गया है कि फरियादी पक्ष द्वारा पुलिस थाना गोहद से मिलकर असत्य अपराध पंजीबद्ध करा दिया है, जबिक आवेदकगण ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण निर्दोष हैं। आवेदकगण नवयुवक व्यक्ति है। यदि आवेदकगण अधिक दिनों तक जेल में रहे तो उनका परिवार भूखा मर जायेगा। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। आवेदकगण के फरार होने व साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर हैं। अतः इन्हीं सब आधारों पर आवेदकगण को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सूची मुताबिक दस्तावेज एवं कैफियत सहित संपूर्ण केस डायरी का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 02.05.18 को फरियादी उमेश, अपनी पत्नी बेबी राठौर के साथ अपनी पुत्री हिमांशी को खिला रहा था, तभी उसका बड़ा भाई बृजेश बोला कि तुम लोग यहां नहीं रहोगे, कहीं दूसरी जगह इंतजाम कर लो तो उसने कहा कि उसका भी घर है, वह यही रहेगा तो राजकुमार व बृजेश गालियां देने लगे, जब उसने गालियां देने से मना किया तो बृजेश

ने लोहे का सिरया उसकी ठोड़ी पर मारा घाव होकर खून निकल आया। राजकुमार ने डण्डा मारा जो उसके माथे पर लगा व एक डण्डा बायें कान में लगा चोट होकर खून निकल आया। दोनों ने डण्डा व सिरया भी मारे जिससे उसके पूरे शरीर में मुंदी चोटें आईं। उसकी पत्नी बेबी बचाने आई तो राजकुमार ने उसकी बच्ची हिमांशी आयु 01 माह को पकडकर जमनी पर पछीट दिया जिससे उसके कान, सिर व पूरे शरीर में चोटें आईं। मौके पर उसकी पत्नी बेबी तथा ससुर रनवीर थे जिन्होंने बचाया व घटना देखी तथा अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की भी धमकी दी गई।

उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी उमेश द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना गोहद में अप०क० 109/18 अंतर्गत धारा 323, 324, 294, 506, 34 भा0दं०सं० के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। इलाज के दौरान घायल हिमांशी की जे.ए.एच. ग्वालियर में मृत्यु हो जाने से मामले में धारा 302 भा0दं०सं० की अभिवृद्धि की गई है, जो गंभीर प्रकृति का अपराध है। साथ ही जमानत के इस प्रक्रम पर मामले के गुण—दोष पर विचार नहीं किया जा सकता है।

अतः मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता सिहत आवेदक की उक्त अपराध में सिक्विय संलिप्तता को देखते हुये आवेदकगण राजकुमार व बृजेश को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः उनकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को विधिवत बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस०के०गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद